

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/एफ-51/सेल-2/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक / / 2017

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत राज्य के बाहर स्थित अरनेजा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलाजी नागपुर को दी गई मान्यता निरस्त करने बाबत।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ-4-39/2015/55-2
दिनांक 19.07.2017

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अरनेजा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलाजी नागपुर को म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का समसंख्यक आदेश दिनांक 28.11.2015 द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के बाहर उपचार कराये जाने ^{द्वारा} मान्यता प्रदान की गई थी, जो कि आदेश क्रमांक एफ-4-39/2015/55-2 दिनांक 19.07.2017 द्वारा मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है।

अतः उक्त चिकित्सालय को म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि के आदेश क्रमांक 4/रा.बी.स.नि./सेल-2/2015/558 दिनांक 14.12.2015 द्वारा दी गई मान्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

संलग्न:-संदर्भित आदेश


संचालक(रा.बी.सहा.नि.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 23/8/2017

पृ.क्रमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/एफ-51/सेल-2/2017/499
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
4. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. डॉ. जसपाल अरनेजा, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलाजी प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, (महाराष्ट्र)।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


संचालक(रा.बी.सहा.नि.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

+ = 51

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-4- 39/2015/55-2

भोपाल, दिनांक 19/07/2017

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
- 3- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
- 4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के बाहर उपचार कराये जाने हेतु अरनेजा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नागपुर को मान्यता देने बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28.11.2015 !

=00=

म0प्र0 शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के बाहर उपचार कराये जाने हेतु अरनेजा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नागपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.11.2015 द्वारा हृदय रोग के उपचार कार्डियोलाजी (एंगियोग्राफी/एजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईव बीएमवी, पीपीआः) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस ऐज वेल ऐज एसोसिएटेड क्रिटिकल केयर के उपचार हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। संस्था द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि एवं बाल हृदय उपचार योजनान्तर्गत अतिग्राहीयो के उपचार का प्राक्कलन बीमारी के उपचार हेतु निर्धारित पैकेज से अधिक राशि का प्राक्कलन देने व पैकेज अनुसार स्वीकृत राशि से अतिरिक्त राशि ली जा रही है।

प्रकरण के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई शिकायत में जांचोपरान्त शिकायत सही पाये जाने के उपरांत इस विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 28.11.2015 से जारी की गई मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
शर्मिला ठाकुर

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

- 2 -

तत्काल CMHO
की पत्र जारी करें /


C-2
09/08/17

पृ.क्रमांक एफ-4-39/2015/55-2

भोपाल, दिनांक 19/07/2017

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव म0प्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0. 818/ओएसटी/ सीएमई/17, दिनांक 04.05.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 5. उप संचालक, (रा.बी.स.नि) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर संचालक चिकित्सा शिक्षा को संबोधित 4/रा.बी.स.नि/सेल-1/2015/464 दिनांक 20.10.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
 3. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
 7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
 8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 9. डॉ. जसपाल अरनेजा, अरनेजा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नागपुर (महा.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग